महत्वपूर्ण एवं खास

9 व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु दो व्यक्ति घायल

रायगढ़ -जिले के विभिन्न ग्रामों में निवासरत 9 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वहीं 2 लोग घायल हुए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा मृतक के परिजनों एवं घायल हुए लोगों को वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। एसडीएम घरघोड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पत्थलगांव साकिन इला के कुशल यादव की 5 मई 2017 को एवं तहसील घरघोड़ा के ग्राम अमलीडीह के ऋषिकांत नंदे की 24 अगस्त 2017 को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उन्हें 10.10 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह तहसील खरसिया साकिन बेन्दोझरिया के गीताबाई की 6 नवंबर 2016 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पति प्रेमलाल साहू को 25 हजार रुपए तहसील घरघोड़ा साकिन.भेण्ड्रा के जगेश्वर प्रसाद राठिया की 24 नवंबर 2017 को मृत्यु होने पर उनके पिता गनपत राठिया को 25 हजार रुपए तहसील घरघोड़ा साकिन चोटीगुड़ा के सुरेश उरांव की 4 अक्टूबर 2016 को मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गायत्री को 25 हजार रुपए साकिन चिरमिरी डोमनहील सोनवानी काल्ली जिला कोरिया घटना ग्राम बिजारी के मनोज वर्मा की 27 दिसम्बर 2017 को मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सुधा को 25 हजार रुपएए तहसील घरघोड़ा ग्राम कोसमघाट के पुरूषोत्तम सारथी की 23 जनवरी 2018 को मृत्यु होने पर उनके पिता मोहन सारथी को 25 हजार रुपएए ग्राम मुण्डेसरा तहसील किरानपुर जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के प्रदीप कुमार की 24 नवंबर 2016 को मृत्यु होने पर उनके पत्नी प्रियांशी को 25 हजार रुपए तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम सिंघीझाप के झनकराम राठिया की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी शांतिबाई को 25 हजार रुपएए ग्राम बालकपोड़ी थाना कापू घटना ग्राम भेण्ड्रा के रिमझिम वैष्णव की 24 अगस्त 2017 को मृत्यु होने पर उनके पिता पारसनाथ को 25 हजार रुपए तथा तहसील घरघोड़ा साकिन नवापारा टेण्डा के बसंत राठिया की 10 दिसम्बर 2015 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता लालजीत राठिया को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

परियोजना सलाहकार मण्डल एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक 9 मार्च को

रायगढ़ संसदीय सचिव श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया की अध्यक्षता में परियोजना सलाहकार मण्डल तथा क्रियान्वयन समिति की संयुक्त बैठक 9 मार्च को दोपहर 12 बजे से जनपद पंचायत तमनार के सभाकक्ष में आहूत की गई है।

रेल्वे लाईन परियोजना में अर्जित भूमि का मुआवजा व पुनर्वास राशि के शेष खातेदारों का भुगतान 15 मार्च को

रायगढ़ एनटीपीसी तलाईपाली से एनटीपीसी लारा के मध्य कोल परिवहन हेतु प्रस्तावित रेल्वे लाइन परियोजना हेतु रायगढ़ जिले के तहसील रायगढ़ एवं पुसौर के 21 ग्रामों की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है। प्रभावित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान राशि के वितरण हेतु पूर्व में कैम्प लगाया था। लेकिन कुछ ऐसे खातेदारों का आवश्यक दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें अब तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हो पायी है। उन खातेदारों के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास राशि का भुगतान 15 मार्च 2018 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रायगढ़ में किया जाएगा। उक्त खातेदार नियत तिथि में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनटीपीसी तलाईपाली से एनटीपीसी लारा के मध्य कोल परिवहन हेतु प्रस्तावित रेल्वे लाइन परियोजना हेतु रायगढ़ जिले के तहसील रायगढ़ एवं पुसौर के जिन 21 ग्रामों की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इनमें पंडरीपानी सकरबोगा टारपाली पतरापाली बेलादुला विजयपुर दनौट कोतरलिया भिखारीमाल चिटकाकानी लोईंग विश्वनाथ पाली कोसमपाली जुर्डा बरलिया रेगड़ा संबलपुरी गोपालपुर बड़माल एकताल एवं रेंगालपाली शामिल है। उक्त ग्रामों के प्रभावित भूमि का भू.अर्जन एवं पुनर्वास अवार्ड नवंबर 2016 से दिसम्बर 2017 के मध्य भू.अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ द्वारा पारित किया जा चुका है। प्रभावित ग्रामों में अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान राशि के वितरण हेतु पूर्व में कैम्प लगाया गया था। पारित अवार्ड के कुछ खातेदारों द्वारा पारिवारिक विवाद व सभी खातेदारों में अहसमति एवं अनुपस्थिति के कारण प्रभावित भूमि का न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निर्णय प्रस्तुत नहीं होने के कारण ऋण पुस्तिका पहचान पत्र आदि प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवार्ड के पश्चात दायर आपत्ति में आपसी समझौता एवं निराकरण न होने के कारण राजस्व अभिलेख में एवं वास्तविक नाम में भिन्नता होने के कारण तथा अन्यत्र निवासरत एवं पूर्ण पता नहीं होने के कारण भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास राशि उक्त खातेदार को प्राप्त नहीं हो पायी है। ऐसे शेष खातेदारों द्वारा का मुआवजा व पुनर्वास राशि का भुगतान 15 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रायगढ़ में किया जाएगा। शेष खातेदार नियत तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त नहीं करते है तो उक्त खाते की संपूर्ण राशि पी.डी.एकाउंट जिला कार्यालय रायगढ़ में जमा कर दी जाएगी एवं माना जाएगा कि आपके द्वारा अर्जित भूमि का कब्जा प्रदाय हेतु सहमति दे दी गई है एवं भविष्य में आपत्ति अथवा विवाद समाप्त होने एवं न्यायालय में उपस्थित होकर मुआवजा मांग करने पर पीडी एकाउंट से राशि पारित उपरांत ही प्रदाय की जा सकेगी। मुआवजा प्राप्त न करने की स्थिति में संबंधितों के द्वारा एनटीपीसी तलाईपाली.लारा रेल्वे लाईन के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करते है तो राजस्व विभाग द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए संबंधित खातेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के लिए 31 दिसम्बर तक आवेदन

रायगढ़ लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसा डी.आई. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति सम्मान निधि नियम 2008 के नियम 15 में संशोधन किया गया है। सम्मान निधि हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम 31 दिसम्बर 2018 निर्धारित की गई है। पूर्व में इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम 31 मार्च 2018 निर्धारित थी। जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसम्बर किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ में जमा कर सकते है।

50 प्रगतिशील मत्स्य कृषक अध्ययन भ्रमण के लिए हुए रवाना

रायगढ़ -कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में विगत 4 मार्च को मत्स्य विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के सारंगढ़ बरमकेला खरसिया विकासखण्ड के 50 प्रगतिशील मत्स्य कृषकों का दल राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण के लिए रवाना हुए। मत्स्य विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि कृषकों का दल अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ स्टेशन से पुरी एवं भुनेश्वर के लिए रवाना हुए है। वे वहां श्केन्द्रीय मीठाजल जीव पालन अनुसंधान संस्थान्य सीआईएफ में मत्स्य पालन के आधुनिक तकनीकों एवं फिश मार्केट का अवलोकन करेंगे तथा वापस आकर अपने.अपने क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन वृद्धि को एक नया आयाम देंगे। टीम का नेतृत्व सहायक मत्स्य अधिकारी श्री धानी जंघेल के द्वारा किया जा रहा है।

CAREER SCHOOL

Topper Students Last Session

Admission Open

Behind Stadium Raigarh C.G.

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें - मो.नं. 9039961090

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सरगुजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरबा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जांजगीर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931